

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर


## आज्ञा

क्रमांक:- रक्षा.(रा.न्या.से.)अवकाश/ 62 /2022

दिनांक : ११.०१.२०२२

विधि एवं विधिक कार्य विभाग (न्याय) प्रकोष्ठ, जयपुर के आदेश क्रमांक प.11.(3) न्याय/2002, दिनांक 08.09.2005 संपर्कित राजकीय सेवा नियम 1951 के नियम १।-ए के तहत राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारीगण को दिनांक 01.04.2000 से दो वर्षों के प्रत्येक ब्लाक में अधिकतम 30 दिवस के उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान अनुज्ञेय किया गया है। अतः निम्न वर्णित अधिकारी को उनके आवेदनानुसार अधोलिखित तालिकानुसार उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान स्वीकृत किया जाता है। जिसकी प्रविष्टि सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में कर दी गई है।

क्र. सं.	नाम अधिकारी एवं पदनाम	समर्पित अवकाश के दिनों की संख्या	ब्लॉक वर्ष	समर्पित अवकाश की दिनांक
01.	श्री रघुनंद चौहान (RJ0972), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटड़ी (भीलवाड़ा)।	30	2020 - 2022	25.11.2021

आज्ञा से,  
  
 रजिस्ट्रर (वर्गीकरण) १०.०१.२०२२

क्रमांक :- रक्षा.बी.२(४)/138/2015/ २१६

दिनांक : ११.०१.२०२२

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा।
- श्री रघुनंद चौहान (RJ0972), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटड़ी (भीलवाड़ा)।

  
 रजिस्ट्रर (वर्गीकरण) १०.०१.२०२२

अ०१.२२  
१०.०१.२२  
अ०३